

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—पौष 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-44-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, दतिया के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम पंचायत उन्नाव, तहसील दतिया, जिला दतिया के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.200 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	263	0.560
2	2056	1.440
		योग : 2.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—ग्राम उन्नाव की ओर कच्चा रोड.

दक्षिण में—धीसलनी-उन्नाव रोड.

पूर्व में—नहर राजघाट.

पश्चिम में—कृषक पठैरिया की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-44-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11th January 2016

No. D-15-44-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Datiya has been established by this department's Notification even dated 26th March 1964 shall be sub-market yard namely:—

PLACE

An area of 2,000 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Unnav Gram Panchayat in Tehsil Datiya of District Datiya:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	263	0.560
2	2056	1.440
Total :		2.000

BOUNDED BY

On the North by—Kacha Road at Gram Unnav.

On the South by—Ghisalni-Unnav Road.

On the East by—Rajghat Canal.

On the West by—Land of Farmer Patheriya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-44-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 1964 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण, (दतिया, जिला दतिया के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत उन्नाव, तहसील दतिया जिला दतिया की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) परासरी, (2) ललुआ, (3) सेरसा, (4) खटोला, (5) स्वतंत्रपुरा, (6) जनकपुर, (7) धवारी, (8) पठरा, (9) गोविन्दगढ़, (10) राजापुर, (11) गुजर्रा, (12) घिसलनी, (13) धरावा, (14) तगा, (15) नरेटा, (16) पगारा, (17) फुलरा, (18) कुआखेड़ा, (19) सासूती, (20) गुलमउ, (21) खिरिया कबीर, (22) खिरिया नाई, (23) सडवारा, (24) पेता, (25) आसेर, (26) दवरी, (27) भदेवरा, (28) कल्याणपुरा, (29) कामद, (30) रिवार, (31) कुशौली, (32) विजनपुरा, (33) सिकडआ, (34) प्यावंल, (35) देवरा, (36) कुम्हरिया, (37) सिमिरिया, (38) जनकपुर, (39) नरगढ़, (40) तरगुंआ, (41) पौरा, (42) सरसई, (43) धमना, (44) अस्थैर, (45) पिपरोआ, (46) मुरिया, (47) मुस्तरा, (48) गंगावली, (49) पाली, (50) परसर, (51) रनगुंआ, (52) खिरिया, (53) मवई, (54) विरगुआं, (55) वरगढ़, (56) पहलगुआं, (57) पालर, (58) गौराई, (59) आरी, (60) कोट, (61) वेहटा, (62) ईशागढ़, (63) केशवपुर, (64) पाड़री, (65) मथनपुरा, (66) भारारी फार्म, (67) भोजला, (68) लकारा, (69) रौनीजा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-44-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11th January 2016

No. D-15-44-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this departments notification even number dated 26th March 1964 the following area of Datiya of District Datiya shall be sub-market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Unnav in Tehsil Datiya of District Datiya.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Parasari, (2) Lalua, (3) Sersha, (4) Khatola, (5) Swantrapura, (6) Janakpur, (7) Dhavari, (8) Pathra, (9) Govindgarh, (10) Rajapur, (11) Gujarra, (12) Ghisalni, (13) Dharava, (14) Taga, (15) Nareta, (16) Pagra, (17) Phulra, (18) Kuakheda, (19) Sasuti, (20) Gulmau, (21) Khiriya Kavir, (22) Khiriya Nai, (23) Dsdwara, (24) Penta Aser, (25) Aser, (26) Davri, (27) Bhadevra, (28) Kalyanpura, (29) Kamad, (30) Riwar, (31) Kushouli, (32) Vijanpura, (33) Sikada, (34) Pyaval, (35) Devra, (36) Kumhriya, (37) Seimiriya, (38) Janakpur, (39) Nargarh, (40) Targua, (41) Poura, (42) Sarsi, (43) Dhmana, (44) Asther, (45) Piproua, (46) Muriya, (47) Mustra, (48) Gangawali, (49) Paali, (50) Parsar, (51) Rangua, (52) Khiriya, (53) Mavai, (54) Virgua, (55) Vargarh, (56) Pahalgua, (57) Paalar, (58) Gourai, (59) Aari, (60) Kot, (61) Wehta, (62) Issgarh, (63) Keshavpur, (64) Padri, (65) Mathanpura, (66) Bharari Farm, (67) Bhojala, (68) Lakara, (69) Rouneeja.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.